U.P. (5)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2007/आषाढ़ 21, 1929
No. 862] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2007/ASADHA 21, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2007

का.आ. 1134(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे जो निम्नलिखित हैं :-

1. प्रोफेसर मुकेश शर्मा,
   प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
   आई आई टी कानपुर, कानपुर-208016 — अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता
2. डॉ. कुंवर पाल सिंह,
   वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,
   पर्यावरणीय रसायन प्रभाग, औद्योगिक विष
   विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बाक्स संख्या 80,
   एम जी मार्ग, लखनऊ — सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया और पर्यावरण गुणता
3. डॉ. सी. एस. भट्ट,
   सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   पिकअप भवन, तृतीय तल,
   विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ — सदस्य सचिव,

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए ।

4. प्राधिकरण उत्तर प्रदेश इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश का गठन करती है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

1. डॉ. एस. के. भार्गव, उपनिदेशक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण मानीटरिंग प्रभाग, आईटीआरसी, लखनऊ	–अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता
2. डॉ. सरिता सिन्हा, वैज्ञानिक ई-II और ग्रुप लीडर इकोटोक्सीकोलोजी और नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ-226001	–सदस्य, जोखिम आकलन और पर्यावरण गुणता
3. डॉ. एस. पी. शर्मा, सहायक प्रोफेसर (सिविल), इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, लखनऊ, टाइप IV-ए/8, आईईटी कैम्पस, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021	–सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, पर्यावरण गुणवत्ता
4. डॉ. राजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, जी. बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, पंत नगर, जिला यू.एस.नगर, उत्तराखण्ड	–सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर्यावरण गुणवत्ता, जोखिम आकलन
5. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह सिंगार, प्रोफेसर कानूनी प्रबंध, अध्यक्ष, कानूनी प्रबंध समूह, आईआईएम लखनऊ-226013	–सदस्य, परियोजना प्रबंध
6. डॉ. सुशील कुमार (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से मुख्य पर्यावरण अधिकारी के पद से अवकाश प्राप्त) 437, एन-1	–सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता
7. डॉ. उदय मोहन, प्रोफेसर अपग्रेटिड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसन केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ-226003	–सदस्य, जोखिम आकलन
8. डॉ. कृष्ण गोपाल, अध्यक्ष एक्वेटिक टोक्सीलोजी डिवीजन, इन्डस्ट्रीयल टोक्सीलोजी रिसर्च सेंटर, एम जी मार्ग, पोस्ट बॉक्स संख्या 80, लखनऊ	–सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
9. डॉ. यशपाल सिंह, निदेशक (पर्यावरण) पर्यावरण निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ-226010	– सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, उत्तर प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं ।

9. एस ई ए सी, उत्तर प्रदेश सामूहिक दायित्व के सिद्धान्त पर काम करेगी। अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, एस ई ए सी गुजरात के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे.-11013/43/2007-आई ए-II(I)]

रा. आनंदकुमार, सलाहकार